

18/03/26

अधिवक्ता अपीलान्त व अपीलान्त उपर

अपीलान्त अधिवक्ता ने

पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त  
पत्र में अपीलान्त व रेसपोन्डेंट के मध्य

आपस में शफीनामा हो गया है उक्त  
अपील जरिये शफीनामा विद्वैत खातिर

करमाया जाये।

अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत

पत्र का अवलोकन किया। बहस मान

किया। अपीलान्त ने आदेशिका पर हस्ताक्षर

किए। न्यायहिन में पत्र स्वीकार किया

जाकर अपील जरिये विद्वैत खातिर ही

जाती है पत्रावली इसी मुताबिक निर्णय

की जात कर लकमील नम्बर से मग ले



राजस्व जितेंद्र - अधिवक्ता  
पाली केम्प जालांड

ADS  
(अधिवक्ता पाली)